न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 7/2024

उनवान

कुसुमलता हिन्डुनिया पत्नी चेतन हिन्डुनिया जाति रेगर निवासी ग्राम रामसर, तहसील–नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– १०/७/२५

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद के हाल खाता संख्या 2709/979 के हाल खसरा नम्बर 9803/7421 रकबा 0.0650 की आराजी प्रार्थी की एकल खातेदारी में है। प्रार्थी के पास उक्त आराजी पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। उक्त आराजी पर प्रवेश हेतु ग्राम रामसर के खसरा नम्बर 7421 व 7480 में से हो कर रास्ता निकाला जा सकता है। उक्त मार्ग की प्रार्थी को आत्यतिंक आवश्यकता है। खसरा नम्बर 7421 व 7480 सिवायचक है। जिसके उतर दिशा में ख.न. 4100 गै.मु. सडक इस मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को उब्कत खसरा नम्बर में से 30 फिट चौडा मार्ग उपलब्ध कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम व पटवार मण्डल रामसर के हाल खसरा नम्बर 9803/7421 रकबा 0.0650 की आराजी प्रार्थी की एकल खातेदारी में है। प्रार्थी का कथन है कि पास उक्त आराजी पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी में आवागमन हेतु 2 मार्ग प्रस्तावित किये गये है। प्रथम मार्ग में ग्राम रामसर के खसरा नम्बर 7421 में से तथा द्वितीय मार्ग में खसरा नम्बर 7421 व 4101 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रथम मार्ग में 439 वर्ग [illegible] द्वितीय मार्ग में 969.90 वर्ग मीटर भूमि मार्ग हेतु ली जानी है। जिससे स्पष्ट है कि प्रथम [illegible] लघुतम है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही होना बताया गया है [illegible] है। उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता दिये जाने से कम भूमि [illegible] प्रार्थी को रास्तें की आत्[illegible] आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में मार्ग 1 में अंकि[illegible] भूमि में से ही रास्ता चाह[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:12:03 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7421 रकबा 2.59 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी में से 9.12 मी. चौडा व 48 मी. लम्बा कुल 439 वर्ग मीटर रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी की डी0एल0सी0 दर से दो गुणा राशि 53335/ अक्षरे तरेपन हजार तीन सौ पैतीस रूपये मात्र राजकोष में जमा होने के बाद उक्त रकबा सिवायचक खातें में गै.मु. रास्ता दर्ज कने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:12:03 IST
Reason: SelfAttested